इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2020—श्रावण 23, शक 1942

# भाग ४

### विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020

क्र. एफ-1-6-2020-बाईस-वि-5-स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची एक, दो और चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

# "अनुसूची – एक ( नियम–5 देखिए )

页.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रमुख अभियंता	02	प्रथम—श्रेणी	141800-214700	
2	मुख्य अभियंता (सिविल)	07	प्रथम—श्रेणी	129700-214300	
3	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	22	प्रथम-श्रेणी	79900—211700	
4	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	101	प्रथम-श्रेणी	67300-206900	
5	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	02	प्रथम श्रेणी	67300-206900	
6	सहायक यंत्री (सिविल)	643	द्वितीय-श्रेणी	56100-177500	
7	सहायक यंत्री (विद्युत)	04	द्वितीय-श्रेणी	56100—177500	
8	प्रबंधक आई.टी. (संविदा)	01	द्वितीय-श्रेणी	संविदा रकम के	
			¥	अनुसार	
9	लेखाधिकारी	04	द्वितीय-श्रेणी	56100-177500	

# अनुसूची — दो ( नियम—6 देखिए )

विभाग / सेवा	पद का नाम	पदों की संख्या	मध्यप्रदेश ३	प्रामीण यांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) में की संख्या की प्रतिशतता	भरे जाने वाले पदों	अम्युक्तियां
का नाम			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिए	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति व द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिए	अन्य सेवा से सदस्यों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा 6 (1) (ग) देखिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पंचायत —-	प्रमुख अभियंता	02	-	100	<del>-</del> .	
एवं ग्रामीण विकास	मुख्य अभियंता (सिविल)	07	: <del>-</del> :	100		
विभाग / ग्रामीण	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	22	_	100		
यांत्रिकी सेवा	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	101	<u> </u>	100		
. 4.	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	02	1 1 <del></del> 1	100	<del>-</del>	<i>.</i> '
	सहायक यंत्री (सिविल)	643	50	50	<del>-</del>	
				(एक) 35 % पद सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी उप—यंत्रियों से		मानचित्रकार (सिविल) उपलब्ध
				(दो) 10 % पद सिविल इंजीनियरिंग उपाधिधारी उपयंत्रियों से		नही होने की दशा में सिविल
				(तीन) 05 % पद मानचित्रकार (सिविल) से		इंजीनियरिंग <b>उ</b> पाधिधारी उपयंत्रियों
	सहायक यंत्री (विद्युत)	04	50	50		से
				(एक) 35 % पद विद्युत इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी उप—यंत्रियों से	Ŧ	ानचित्रकार (विद्युत) उपलब्ध
				(दो) 10 % पद विद्युत इंजीनियरिंग उपाधिधारी उप—यंत्रियों से		नहीं होने ग्री दशा में
				(तीन) 05 % पद मानचित्रकार (विद्युत) से,	· •	विद्युत जीनियरिंग ज्याधिधारी उपयंत्रियों
	बंधक आई.टी.	01	100			से विदा पर
	नंविदा) खाधिकारी	04	(			तेनियुक्ति

### अनुसूची — चार ( नियम—13 देखिए )

विभाग क	ा पद का नाम	आगामी उच्चतर प	ाद उस पद का	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
नाम	जिससे पदोन्नति	के लिए अर्ह होने	नाम जिस पद	
	की जानी है	हेतु न्यूनतम अनुम	व पर पदोन्नति	
•			की जानी है	
(1)	(2)	(3)	(4)	<b>(5)</b>
पंचायत	मुख्य अभियंता	02 वर्ष	प्रमुख	मुख्य सचिव - अध्यक्ष
एवं	(सिविल)	:	अभियंता	अन्य विभाग से वरिष्ठ प्रमुख सचिव – सदस्य
ग्रामीण	* 1.			आरक्षित वर्ग का प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य
विकास	•			विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव
विभाग /			**	/विकास आयुक्त -सदस्य सचिव
ग्रामीण	अधीक्षण यंत्री	05 वर्ष	मुख्य अभियंता	_ तदैव <b>_</b>
यांत्रिकी	(सिविल)	•	(सिविल)	
सेवा	कार्यपालन यंत्री	05 वर्ष	• • •	अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा
	(सिविल)		(सिविल)	नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य - अध्यक्ष
				आरक्षित वर्ग का प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य
§ ·				विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव — सदस्य सचिव
	सहायक यंत्री	06 वर्ष	कार्यपालन	– तदैव –
	(सिविल)		यंत्री (सिविल)	
	सहायक यंत्री	06 वर्ष	कार्यपालन	<b>–</b> तदैव –
	(विद्युत)	00 44	यंत्री (विद्युत)	- ()44
<i>2</i> *	उप—यंत्री	08 वर्ष	सहायक यंत्री	— <b>तदै</b> व —
	(सिविल उपाधिधारी)	00 44	(सिविल)	— ((qq —
	उप—यंत्री	10 वर्ष	सहायक <b>यंत्री</b>	— तदैव <i>-</i>
	(सिविल डिप्लोमाधारी)	10 41	(सिविल)	— (I44 —
	मानचित्रकार	12 वर्ष	सहायक यंत्री	– तदैव –
,	(सिविल)		<b>(</b> सिविल)	
	उप—यंत्री	08 वर्ष	सहायक यंत्री	<del>- तद</del> ैव
	(विद्युत उपाधिधारी)		(विद्युत)	
	उप—यंत्री	10 वर्ष	सहायक यंत्री	<b>–</b> तदैव –
	(विद्युत डिप्लोमाघारी)		<b>(</b> विद्युत)	
	मानचित्रकार	12 वर्ष	सहायक यंत्री	<b>– तदै</b> व –
	(विद्युत)		(विद्युत)	

### टीप :---

1. केवल वे ही सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नित के लिए पात्र होंगे, जिनके पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/वास्तुविद् अभियांत्रिकी में कम से कम तीन वर्ष का डिप्लोमा या उसी ब्रांच में उच्चतर अर्हता हो।

- 2. केवल वे ही सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री (विद्युत) के पद पर पदोन्नित के लिए पात्र होंगे, जिनके पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल अभियांत्रिकी में कम से कम तीन वर्ष का डिप्लोमा या उसी ब्रांच में उच्चतर अर्हता हो।
- 3. सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि धारण करने वाले केवल वे ही व्यक्ति अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर या किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
- 4. केवल अधीक्षण यंत्री (सिविल) ही मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नित के लिए पात्र होंगे।

No. F-1-6-2020-XXII-D-5-Estt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Rural Engineering Service, (Gazetted) Recruitment Rules, 1986, namely:—

#### **AMENDMENTS**

In the Said rules —

For Schedule I, II and IV the following schedules shall be substituted, namely:-

Schedule - I (See Rule-5)

No.	Name of Posts included in the service	No. of posts	Classification	Pay Scales	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Engineer - in - Chief	02	Class - I	141800-214700	
2	Chief Engineer (Civil)	07	Class - I	129700-214300	
3	Superintending Engineer (Civil)	22	Class - I	79900-211700	
4	Executive Engineer (Civil)	101	Class - I	67300-206900	
5	Executive Engineer (Electrical)	02	Class - I	67300-206900	
6	Assistant Engineer (Civil)	643	Class - II	<b>5</b> 6100-177500	
7	Assistant Engineer (Electrical)	04	Class - II	56100-177500	•
8	Manager I.T. (contracts)	01	Class - II	As per Contract Amount	
9	Account officer	04	Class - II	56100-177500	

Schedule - II (See Rule-6)

Name of Name of Post Department		Number of	, i				
/ Service		posts	By direct recruitment [vide rule 6 (1) (a)]	By promotion of t of the service [vid (b)]		By Temporary transfer of the member from other service	
44						[vide rule 6 (1) (c)]	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<del></del>	(6)	(7)
Panchayat	Engineer-in-Chief	02	· -	100		· ,	
and Rural Develop	Chief Engineer (Civil)	07 ;	· ·	100		-	
ment Department / Rural	Superintending Engineer (Civil)	22	•	100		-	
Engineering Service	Executive Engineer (Civil)	101	-	100		•	
	Executive Engineer (Electrical)	02	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	100		<del>-</del>	

Name of Departmen		Number of	Percentage	of the number of the post to be fi	lled in the Madhya	Remarks
/ Service			Pi	radesh Rural Engineering Service		
7 SCI VICC		posts	By direct	By promotion of the members		· .
			recruitment	of the service [vide rule 6 (1)	transfer of the	
	and the second		[vide rule	(b)]	member from	
			6 (1) (a)]		other service	
					[vide rule 6 (1)	
	•				(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Assistant Engineer	643	50	50	(0)	(//
	(Civil)			50	-	
	` ,		* * *	(T) 26 8 ( P) ( C) ( C) ( C)		T
				(I) 35 % Posts from Civil		In case
·		*	. *	Engineering diploma holder		Draughtsman
				Sub- Engineers		(Civil) are not
		-		(II) 10 % Posts from Civil	* *	available,
	* f <sub>i</sub>			Engineering Degree holder Sub-		then by Civil
				Engineers		Engineering
•				(III) 05 % Post form (Civil)		Degree holder
				Draughtsman		Sub- Engineer
		•		4 · 80		•
	Assistant Engineer	04	50	50	•	
	(Electrical)					
				(I) 35 % Posts from Electrical		In case
•	•,	•		Engineering diploma holder		
			•	Sub- Engineers		Draughtsman
			4, 4, 4	(II) 10 % Posts from Electrical		(Electrical)
				Engineering Degree holder Sub-		are not
		•		Engineering Degree noticer Sub-	•	available,
						then from
		*		(III) 05 % Post from		Electrical
				Draughtsman (Electrical)		Engineering
*						Degree holder
•			•			Sub- Engineer
						_
	Manager I.T.	01	100	-	_	On Contract
	(contracts)					On Contract
	A · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	Account officer	04	•	<b>-</b> ,	100	On Deputation
			,			•
		· ·		ule - IV	•	
· %			(See R	Rule-13)	•	
Name of	Name of the post	Minimur	n Name	of the post Member of the	Dama and an and all	
Department		experience			Departmental pro	motion
-		being quali		tion is to be	committee	
		or promotic				•
•		the next hig		made		
	•	_	ner			
		post				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	A second of the
			·		(3)	
Panchayat and	Chief Engineer	02 Year	Engine	or in Chief Country		
Rural	(Civil)	02 TCa				Chairman
Development	(0.11)		Chief	Senior principal Sec	retary From	
Department /				other Department	<u> </u>	Member
Rural				Principal Secretary/S	Secretary of	
Engineering	•			reserved category	_	Member
		100		Principal Secretary/S	Secretary/	
Service				Development Comm	issioner of	•
•				the Department	- Member	Secretary
				•	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			•	. *		
	Superintending	05 Year	Chief E	ngineer	-do-	
	Engineer (Civil)		(Civil)	-		
					<del></del>	

Name of Department	Name of the post from which promotion is to be made	Minimum experience for being qualified for promotion to the next higher post	Name of the post to which promotion is to be made	Member of the Departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Panchayat and Rural Development Department / Rural Engineering	Executive Engineer (Civil)	05 Year	Superintending Engineer (Civil)	Chairman of the Public Service Commission or any member nominated by him — Chairman Principal Secretary/ Secretary/ Secretary of reserved category — Member Development Commissioner/ Principal Secretary — Member Secretary
Service	Assistant Engineer (Civil)	06 Year	Executive Engineer (Civil)	-do-
	Assistant Engineer (Electrical)	06 Year	Executive Engineer (Electrical)	-do-
	Sub- Engineer (Civil Degree holders)	08 Year	Assistant Engineer (Civil)	<b>-do-</b>
	Sub- Engineer (Civil Diploma holders)	10 Year	Assistant Engineer (Civil)	-do-
	Draughtsman (Civil)	12 Year	Assistant Engineer (Civil)	-do-
	Sub- Engineer (Electrical Degree holders)	08 Year	Assistant Engineer (Electrical)	<b>-do-</b>
	Sub- Engineer (Electrical Diploma holders)	10 Year	Assistant Engineer (Electrical)	-do-
	Draughtsman (Electrical)	12 Year	Assistant Engineer (Electrical)	<b>-do-</b>

#### Note:-

- 1- Only those Assistant Engineer shall be eligible for promotion to the post of Executive Engineer (Civil) who possesses at least three year Diploma in Civil/ Architecture Engineering from the Institute recognized by State Government or Higher Qualification in same Branch.
- 2- Only those Assistant Engineer shall be eligible for promotion to the post of Executive Engineer (Electrical) who possesses at least three year Diploma in Electrical/ Mechanical Engineering from the Institute recognized by State Government or Higher Qualification in same Branch.
- 3- Only the persons possessing a Degree in Civil Engineering shall be eligible for promotion to the post of the Superintending Engineer (Civil) or any higher post.
- 4- Only Superintending Engineer (Civil) shall be eligible for promotion to the post of the Chief Engineer.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

### राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल सूचना

एफ 2-4-2020-सात-7

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2020

नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप—धारा (2) के खण्ड(चवालीस)तथा (चवालीस—क) के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 178 तथा धारा 178—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है और मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना कमांक 199—6477—सात—न (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960, को अतिष्ठित करते हुए और उक्त संहिता की धारा 258 की उप धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिसके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नियमों के निम्नलिखित प्रारूप पर इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपित्त या सुझाव पर, जो उक्त नियमों के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध के अवसान होने पर या उसके पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल द्वारा प्राप्त किया जाए, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### नियमों का प्रारूप

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) " संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
  - (ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
  - (ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से सलग्न अनुसूची; तथा
  - (घ) ''धारा'' से अभिप्रेत है संहिता की धारा।

- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं तथा संहिता में परिभाषित किए गए हैं वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए कमशः दिए गए हैं।
- 3. विमाजन के लिए आवेदन—(1) सह—खातेदार द्वारा खाते में अपने हिस्से के विभाजन के लिए धारा 178 की उप—धारा (1) के अधीन आवेदन प्ररूप—एक में होगा।
- (2) भूमिस्वामी द्वारा अपने खाते के विभाजन के लिए धारा 178—क के अधीन आवेदन प्ररूप—दों में होगा।
- 4. हितबद्ध पक्षकारों को सूचना तथा उद्घोषणा—(1) धारा 178 के अधीन खाते के विभाजन के लिए आवेदन के मामले में तहसीलदार सह—खातेदारों को सूचना जारी करेगा।
- (2) धारा 178-क के अधीन भूमिस्वामी के जीवनकाल में भूमि के विभाजन के लिए आवेदन के मामले में तहसीलदार आवेदक भूमिस्वामी के विधिक वारिसों को सूचना जारी करेगा।
- (3) उप—ितयम (1) तथा (2) के अधीन सूचना प्ररूप—तीन में जारी की जाएगी और सूचना में विनिर्दिष्ट किसी दिन को, जो सूचनाएं जारी करने के दिनांक से पंद्रह दिन से कम या पैंतालीस दिन से अधिक का नहीं होगा, सह—खातेदारों या उनके विधिक वारिसों से तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने और अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।
- (4) तहसीलदार प्ररूप-चार में उद्घोषणा भी जारी करेगा।
- (5) ऐसी सूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रकिया) नियम, 2019 के भाग दो के उपबंधों के अनुसार जारी तथा तामील की जाएगी और ऐसी उद्घोषणा उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।
- 5. आवेदन का निरस्त किया जाना— यदि तहसीलदार को आवेदक और सह—खातेदांरों या विधिक वारिसों तथा उसके समक्ष उपस्थित अन्य व्यक्तियों की सुनवाई के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि विभाजन को नामंजूर करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा आवेदन निरस्त करेगा।
- 6. खाते का विभाजन—(1) धारा 178 के अधीन किसी मामले में, यदि तहसीलदार आवेदन निरस्त नहीं करता है, तो वह विभाजन को कार्यान्वित कराने हेतु स्वतः या ऐसे अभिकरण द्वारा

जिसे वह नियुक्त करे, अग्रसर होगा। जहां तक संभव हो अखण्डित सर्वेक्षण संख्यांकों का आबंटन किया जाएगा और उनके उपखण्ड करने का प्रश्नय केवल बिरले मामलों में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, प्रत्येक पक्षकार को भूमि के सगठित क्षेत्र आबंटित किये एवं यह सुनिश्चित करने में सावधानी रखना चाहिये कि प्रत्येक पक्षकार को आबंटित क्षेत्र की उत्पादन क्षमता तथा बाजार मूल्य, खाते में उसके हिस्से के अनुपात में हो। यदि खाते में भूमिस्वामियों के हिस्से अधिकार अभिलेख या जमाबंदी में अभिलिखित विवरणों के आधार पर खेत पर चिन्हित तथा सीमांकित किये जा सकते हों, तो तहसीलदार ऐसे विवरणों के अनुसार खाते का विभाजन करेगाः

परंतु यदि रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत किया गया विभाजन विलेख प्रस्तुत किया जाता है तो तहसीलदार विभाजन विलेख की वैधता निश्चित् करने के उपरांत ऐसे विभाजन विलेख के अनुसार विभाजन कार्यान्वित करेगा।

(2) धारा 178-क किसी अधीन के मामले में, यदि तहसीलदार आवेदन निरस्त नहीं करता है, तो वह यथास्थिति, खाते या उसके भाग में, धारा 164 के अनुसार विधिक वारिसों के हिस्से अभिनिश्चित करेगा और तब विभाजन को कार्यान्वित कराने हेतु स्वतः या ऐसे अभिकरण द्वारा जिसे वह नियुक्त करे, अग्रसर होगा। जहां तक संभव हो, अखण्डित सर्वेक्षण संख्यांकों का आबंटन किया जाएगा और उनके उपखण्ड करने का प्रश्रय केवल बिरले मामलों में लिया जाना चाहिये। जहां तक संभव हो, प्रत्येक पक्षकार को भूमि के सुगठित क्षेत्र आबंटित किए जाना चाहिये एवं यह सुनिश्चित करने में सावधानी रखना चाहिये कि प्रत्येक पक्षकार को आबंटित की उत्पादन क्षमता तथा बाजार मूल्य, खाते में उसके हिस्से के अनुपात में हो:

परंतु यदि खाता आवेदक भूमिस्वामी की स्वअर्जित संपत्ति है और ऐसा भूमिस्वामी खाते का प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रिजस्ट्रीकृत विभाजन विलेख प्रस्तुत करता है और कोई पक्षकार उसके संबंध में आपत्ति नहीं उठाता है या उठाई गई आपत्ति विचार में लेकर तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दी जाती है, तो यथास्थिति, खाते के ऐसे प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या विभाजन विलेख के अनुसार खाते का विभाजन किया जाएगा।

(3) जहां उप—नियम (1) या (2) में प्रस्तुत किए गए फर्द बंटवारे या विभाजन विलेख में मार्गाधिकार और धारा 131 में उल्लिखित अन्य प्राइवेट सुखाचार से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट हों, वहां तहसीलदार अपने आदेश में ऐसे प्रावधान अभिलिखित करेगा।

- (4) किसी सर्वेक्षण संख्यांक का विभाजन मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के अध्याय-दो के भाग-ग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- 7. विमाजन का आदेश पारित करना—(1) विभाजन पूर्ण हो जाने के पश्चात् तहसीलदार उन आपित्तियों पर, जो पक्षकार करें, सुनवाई करेगा और या तो विभाजन में संशोधन या पुष्टि करते हुए आदेश पारित करेगा।
- (2) विभाजन ऐसे संशोधन अथवा पुष्टि की तारीख के अगले कृषि वर्ष के प्रारंभ से प्रभावी होगा।
- 8. निर्धारण का प्रमाजन— विभाजन के पश्चात् खातों का निर्धारण मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- 9. मामला बंद करने के पूर्व पूर्ण की जाने वाली कार्रवाईयां— मामला बंद करने के पूर्व, तहसीलदार निम्नलिखित कार्रवाईयां पूर्ण करवाएगा—
  - (क) नियम 6 के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश के अनुसार खसरे में की प्रविष्टियों में शुद्धियां करवाना;
  - (ख) नियम 6 के उप—नियम (4) के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक के उपविभाजन के मामले में नक्शों में शुद्धियां करवाना:
  - (ग) नई भू—अधिकार पुस्तिकायें तैयार करवाना; तथा
  - (घ) प्रत्येक पक्षकार को उसके आदेश की प्रति, अद्यतन खसरा, नक्शा तथा नई भू-अधिकार पुस्तिका का निःशुल्क प्रदान करना।
- 10. निरसन तथा व्यावृत्ति— (1) अधिसूचना क्रमांक 199—6477—सात—न(नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 द्वारा बनाए गए खाते के विभाजन संबंधी नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन से निरिसत नियमों के किसी उपबंध के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा उसके अधीन सम्यकरूप से की गई किसी बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका ऐसा प्रभाव होगा मानो वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात हो।

### प्ररूप —एक [नियम 3 (1) देखिए] मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020

### खाते के विमाजन के लिये आवेदन

	બાત	क विभाजन के लिय	आपदग	
प्रति,				
तह	इसीलदार/अपर तहसील	दार / नायब तहसीलदा	ार	
तह	इसीलजिला	************		
	- यप्रदेश।			
•				•
ਸ਼ੈਂ/ਵਸ	(नाम) एत	टटारा मध्यादेश भ—ः	गत्त्रज्ञ संहिता १०६०	किसांक २० सन
	। धारा 178 के अधीन <b>न</b>	•		-
•	विभाजन के लिये निवेदन		•	। पर गर्न जनग
	विवरण जिसका विभाज			•
**				
	इल्का कमांक/सेक्टर का	नकग	ाम <b>/</b> नगर	खाता
कमांक	***************************************			
٠	•			
अनुक्रमांक	खाते में के सर्वेक्षण	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-राजस्व (रुपए में)	खाते में
5.0	संख्यांक			आवेदक का
				हिस्सा
(4)	(0)	(2)	(4)	(s)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		· .		
2. आवेदक	सहित खाते के सभी सह	ऱ—खा <b>तेदा</b> रों के विवरण	τ :	
अनुक्रमांक	सह-खातेदार का	नाम, खाते	में पता तथा	अभ्युक्तियां
	्माता / पिता / पति / अधि	भेभावक का हिस्स	ा मोबाईल फोन	-

अनुक्रमांक	सह—खातेदार का नाम, माता/पिता/पति/अभिभावक का नाम, लिंग तथा उम्र	खाते में हिस्सा	पता तथा मोबाईल फोन नम्बर	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				:

टीपः— ऐसे मामले में जिसमें सह—खातेदार अपने—अपने हिस्सों के विभाजन पर सहमत हों, उन्हें इस आवेदन के साथ उन सभी के हस्ताक्षरयुक्त खाते का प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख प्रस्तुत करना चाहिए।

### 3. जमा की गई \*फीस के ब्यौरे

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद
		के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

4. अन्य कोई जानकारी जो आवेदक देना चाहे :-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
घोषणा	
करता / करती हूं / हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानका सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात हि समझता हूं / समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।	अपाई नहीं गई है। मैं / हम यह भी
•	
1. ग्राम जमाबंदी (खतौनी) या अधिकार अभिलेख की प्रतिलि	ापि
संलग्नकों की सूची:— 1. ग्राम जमाबंदी (खतौनी) या अधिकार अभिलेख की प्रतिलि 2. आवेदक की पहचान संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि 3. प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रजिस्ट्रीकृत विभाज 4. कोई अन्य दस्तावेज (कृपया विवरण दें)	
1. ग्राम जमाबंदी (खतौनी) या अधिकार अभिलेख की प्रतिलि 2. आवेदक की पहचान संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि 3. प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रजिस्ट्रीकृत विभाज	
<ol> <li>ग्राम जमाबंदी (खतौनी) या अधिकार अभिलेख की प्रतििल</li> <li>आवेदक की पहचान संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि</li> <li>प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रिजस्ट्रीकृत विभाज</li> <li>कोई अन्य दस्तावेज (कृपया विवरण दें)</li> </ol>	न विलेख (ऊपर टीप देखें)

<sup>\*</sup>टीप-फीस से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रकिया) नियम, 2019 के नियम 121 के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित मामले की फीस।

### प्ररूप —दो [नियम 3 (2) देखिए] मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020

# भूमिस्वामी द्वारा जीवन काल में भूमि के विभाजन के लिये आवेदन

प्रति,		*
तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार		
तहसीलजिला		
मध्यप्रदेश।		• '
		• •
मैं / हम (नाम) एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राज	जस्व संहिता, 1959	(कमांक 20 सन
1959) की धारा 178-क के अधीन मेरे अपने विधिक वारिस	•	
के दौरान मेरे / अपने खाते का नीचे दिये गये विवरणों के	अनुसार विभाजन वे	हें लिये निवेदन
करता हूं / करते हैं :-	j.	
1. खाते के विवरण जिसका विभाजन किया जाना है		
पटवारी हल्का कमांक/सेक्टर कमांक	ग्राम/नगर	***************************************
खाता कमाक		

[	अनुक्रमांक	खाते में के सर्वेक्षण संख्यांक			आवेदक के खाते का विभाजन		
		सर्वेक्षण	क्षेत्रफल	भू–राजस्व	आवेदक और	प्रतिशत*	क्षेत्रफल
		संख्यांक	(हेक्टर में)	(रुपए में)	उसके विधिक वारिसों के मध्य		(हेक्टर में)
			14 × 10 × 10		हिस्से का प्रभाजन		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					<ol> <li>खाते में आवेदक का हिस्सा</li> </ol>		
			27 (1) 27 (1)		<ol> <li>आवेदक द्वारा प्रतिधारित किया जाने वाला हिस्सा</li> </ol>		•
					3. विधिक वारिसों के बीच विभाजित किया जाने वाला		
					हिस्सा		

<sup>\*</sup>प्रतिशत से अभिप्रेत है खाते का प्रतिशत।

2	आवेदक	और	तसके	विधिक	वारिसों	के	विवरण	:
∠.	OH MAN	VII.	01147	141447	MILLAILE	4/	1991	• -

अनुक्रमांक	आवेदक / विधिक वारिस का नाम, माता / पिता / पति / अभिभावक का नाम, लिंग तथा उम्र	आवेदक से संबंध	पता तथा मोबाईल फोन नम्बर	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(आवेदक)	स्वयं		

टीप:— यदि खाता आवेदक भूमिस्वामी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो तो ऐसा भूमिस्वामी आवेदन के साथ खाते का प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख प्रस्तुत कर सकता है।

राशि अंको में	राशि शब्दों में	जमा की गई *फीस की रसीद के विवरण
(1)	(2)	(3)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

				* .	
4. अन्य कोई जानकारी जो					
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		***************************************			
			•		
	घो	षणा			
मैं / हमपुत्र / पता) हूं / हैं कि मेरे / हमारे द्वारा है तथा मेरे / हमारे द्वारा व हूं / समझते हैं कि मेरे / हम मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक का	दी गई जानकारी कोई भी बात छि गरे द्वारा प्रस्तुत	मेरे / हमारे ज्ञान । पाई नहीं गई है की गई जानका	और विश्वास है। मैं/हम	से सत्य । यह भी	एवं सही समझता
<b>संलग्नकों की सूची :-</b> 1. ग्राम जमाबंदी (खतौनी) या 2. आवेदक की पड़चान संबंधी					• ***

आवेदकं भूमिस्वामी के हस्ताक्षर

नाम .....

3. प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रिजस्ट्रीकृत विभाजन विलेख (ऊपर टीप देखें)

4. कोई अन्य दस्तावेज (कृपया विवरण दें)

दिनांक .....

स्थान .....

<sup>\*</sup>टीप-फीस से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 121 के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित मामले की फीस।

### प्ररूप -तीन

# [नियम 4 (3) देखिए] मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020

### सूचना

समक्ष	समक्षमें स्थान				
		प्र	करण क्रमांक		
प्रति,	•••••				
			निवासी ग्राम / नगर		
<b>.</b> д	पुत्र/पुत्री/पर्त्त टवारी हल्का कमांक/सेक्टर कमां	<u>क</u> त	<u>,</u> गहसील		
जिला	पुत्र/पुत्री/पत्				
जब कि	पुत्र/पुत्री/पत	fl	निवासी ग्राम/नगर		
	गटवारा हल्का कमाक/सक्टर कम	क	तहसील		
	ने इस न्यायाल				
हिस्से के वि	माजन के लिए सह—खातेदार के	रूप में आवेदन किया है	$\mathbf{F}_{a} = \frac{1}{2} e^{-2\pi i a}$		
		या			
	र्देष्ट अपने खाते या उसके अंश व		अपने विधिक वारिसों के		
बची, विभाज	न के लिए भूमिस्वामी के रूप में व				
		हो उसे, काट दें)			
	र उक्त खाते का विभाजन किया र				
20सथ	ान बजे नि	यत की गई है। आपक	रतद्द्वारा सूचित किया		
	5 आप या तो स्वतः या विधिक व				
	व को उपस्थित हों और अपनी आ				
	के उपस्थित नहीं होने पर एवं आ				
नामा जाएगा	कि आपको कोई उक्त विभाजन	क सबध म काइ आपात्त	न नहां है।		
	खाते व	हे विवरण			
पटवारी हल्व	ज कमांक/सेक्टर कमांक <u>.</u>	ग्राम/नगर का नाम	••••		
खाता	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-राजस्व (रुपए में)		
कमांक					
(1)	(2)	(3)	(4)		
			· -		
मुहर		तहसी	लदार		
दिनांक	20				

#### प्ररूप –चार

### [नियम 4 (4) देखिए]

### मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020

### उद्घोषणा

•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*
समक्ष	स्थान		
		प्रकरण क्रमांक	
जब किपु	<b>गुत्र / पुत्री / पत्नी</b>	निवासी ग्राम/नगर	
पटवारी हल्का कमांव	n / सेक्टर क्रमांक	तहसील	
जिलाने	इस न्यायालय के सम	क्ष नीचे विनिर्दिष्ट खाते में के अप	ाने
हिस्से के विभाजन के लिए सह	-खातेदार के रूप में आव	वेदन किया है।	
	या		
नीचे विनिर्दिष्ट अपने खाते या	उसके अंश के, अपने ज	नीवनकाल में अपने विधिक वारिसों	में,
विभाजन के लिए भूमिस्वामी के	रूप में आवेदन किया है		
en e			
	(जो लागू न हो, उसे क	ाट दें)	
और जब कि उक्त खाते का वि	ोभाजन किया जाना प्रस्त	वित है, एवं सुनवाई की तारीख	•••
20परपर	बजे नियत की गई	है।	
			_
उक्त खाते में हित रखने	ने वाले सभी व्यक्तियों के	ो एतदद्वारा सूचित किया जाता है वि	के
वे या तो स्वतः या विधिक व्यवस	सायी या मान <mark>्यताप्राप्त अ</mark> धि	भेकर्ता के माध्यम से नियत तारीख क	ग्रे
उपस्थित हों और अपनी आपत्ति	यां यदि कोई हों तो पर	तत करें।	
		<b>3</b>	

आपके उपस्थित नहीं होने पर एवं आपित्तियां को प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में,

किसी आपित्ति पर विचार नही किया जाएगा।

### खाते के विवरण

पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....गाम/नगर का नाम......

	खाता कमांक	सर्वेक्षण संख्याक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू—राजस्व (रुपए में)
-	(1)	(2)	(3)	(4)
			•	

मुहर

तहसीलदार

दिनांक. 14/8/2020

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत पाण्डेय, अपर सचिव.

### भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2020

क्र. एफ-2-4-2020-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-4-2020-सात-शा-7, दिनांक 11 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत पाण्डेय, अपर सचिव. F-2-4-2020-VII-Sec 7.

Bhopal, the 11th August 2020

#### **NOTICE**

The following draft of rules which the State Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (xliv) and (xliv-a) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with section 178 and section 178-A of the said Code and in supersession of this Department's (i) Notification – No. 199-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January 1960, published in Madhya Pradesh Rajpatra dated 22nd January 1960, is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the following draft of rules shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

#### DRAFT OF RULES

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Krishi Khate Ka Vibhajan) Niyam, 2020.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
  - (b) "Form" means a form appended to these rules;
  - (c) "Schedule" means a schedule appended to these rules; and
  - (d) "Section" means a section of the Code.

· 12.

- (2) Words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code.
- 3. Application for partition.— (1) An application by a co-tenure-holder for partition of his share in holding under sub-section (1) of Section 178 shall be in Form I.
- (2) An application by a Bhumiswami, for partition or his holding, under subsection (1) of section 178-A shall be in Form II.
- 4. Notice to interested parties and proclamation.— (1) In case of an application for partition of holding under Section 178 the Tahsildar shall issue notice to the cotenure-holders.
- (2) In case of an application for partition of land in life time of Bhumiswami under Section 178-A, the Tahsildar shall issue notice to the legal heirs of the applicant Bhumiswami.
- (3) The notice under sub-rule (1) and (2) shall be issued in Form III requiring the co-tenure-holders or their legal heirs to appear before the Tahsildar and to state their objections, if any, on a day to be specified in the notice, which shall not be less than fifteen or more than forty five days from the date of issue of the notices.
- (4) The Tahsildar shall also issue a proclamation in Form IV.
- (5) Such notice shall be issued and served in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019 and such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of said rules.
- 5. Rejection of application.- If, after hearing the applicant and the co-tenure-holders or legal heirs and any other persons who appear before him, it appears to the Tahsildar, that there is sufficient reason for disallowing the partition, he shall, by order in writing, reject the application.

6. Partition of holding.— (1) In a case under Section 178, if the Tahsildar does not reject the application, he shall proceed to effect the partition either personally or through such agency as he may appoint. So far as practicable, whole survey numbers shall be allotted and recourse to sub-division should be taken only in rare cases. So far as possible compact areas of land should be allotted to each party and care should be taken to ensure that the productivity and the market value of the area allotted to each party is in proportion to his share in the holding. If the shares of Bhumiswamis in the holding can be identified and demarcated on field on the basis of particulars recorded in the Record of Rights or Jamabandi, the Tahsildar shall partition the holding as per such particulars:

Provided that if a partition deed registered in accordance with the provisions of Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908) is submitted, the Tahsildar shall, after ascertaining the validity of the partition deed, effect partition as per such partition deed.

(2) In a case under Section 178-A, if the Tahsildar does not reject the application, he shall determine the shares of the legal heirs in the holding or part thereof, as the case may be, in accordance with Section 164 and then proceed to effect the partition either personally or through such agency as he may appoint. So far as practicable, whole survey numbers shall be allotted and recourse to sub-division should be taken only in rare cases. So far as possible compact areas of land should be allotted to each party and care should be taken to ensure that the productivity and the market value of the area allotted to each party is in proportion to his share in the holding:

Provided that if the holding is self-acquired property of the applicant Bhumiswami and such Bhumiswami submits a proposed partition of holding (furd batwara) or a registered partition deed and no party raises objection thereto or the objections raised are considered and rejected by the Tahsildar the holding shall be partitioned as per such proposed partition of holding (furd batwara) or partition deed as the case may be.

(3) Where the partition deed or the furd batwara, submitted in sub-rule (1) or (2) contains provisions with regard to matter of rights of way and other private

easements mentioned in Section 131, the Tahsildar shall record such provisions in his order.

- (4) Division of a survey number shall be made in accordance with the provisions contained in Part C of Chapter II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020.
- 7. Passing order of partition.- (1) After the partition has been completed the Tahsildar shall hear objections which the parties may make and shall pass an order either by amending or confirming the partition.
- (2) The partition shall take effect from the commencement of the agricultural year next following the date of such amendment or confirmation.
- 8. Apportionment of assessment.— The assessment of the holdings after the partition shall be done as per the provisions of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ka Nirdharan Tatha Punarnirdharn) Niyam, 2018.
- 9. Actions to be completed before closing the case- Before closing the case, the Tahsildar shall cause to be completed the following actions-
  - (a) correcting the entries in Khasra in accordance with the order passed by him under Rule 6:
- (b) in case of sub-division of a survey number under sub-rule (4) of Rule 6, correcting the maps;
- (c) preparing new Bhu-Adhikar pustikas; and
- (d) giving copy of his order, updated Khasra, map and new Bhu-Adhikar Pustika to each party free of cost.
- 10. Repeal and savings.— (1) Rules regarding Partition of Holding made vide Notification No. 199-6477-VII-N (Rules) dated the 6th January, 1960 are hereby repealed.
- (2) Such repeal shall not affect the previous operation of any provision of the repealed rules or anything duly done thereunder and shall have effect as if it were done under the corresponding provisions of these rules.

#### FORM - I

[See Rule 3 (1)]

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Krishri Khate Ka Vibhajan) Niyam, 2020

### APPLICATION FOR PARTITION OF HOLDING

	al Tansildar/Naib Tansild			
Madhya Pradesh.				•
I/Weunder section 178 of the M particulars given below.	(name) hereby, reque ladhya Pradesh Land Re	st for partition of n venue Code, 1959 (I	ny / our share in No 20 of 1959) a	n holding as per the
1. Particulars of holding to Patwari halka No. / Scoto		nHole	ling No	•••••

S. No.	Survey numbers in the holding	Area (in hectare)	Land revenue (in rupees)	Applicant's share in the holding
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

### 2. Particulars of all co-tenure holders of the holding including applicants

S. No.	Co-tenure holder's na father/ husband/ guar gender and	rdian's name,	Share in holding	Address and mobile phone number	Remarks
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
<b>\$</b>					1

Note:- In case the co-tenure holders agree on the distribution of their respective shares, they should submit a *furd Batwara*' (proposed partition) to be signed by all of them, or a registered partition deed with this application

#### 3. Details of \*fee deposited

(in Rupees)

	Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the fee deposited	
-	(1)	(2)	(3)	
ł				

			en kalendaren bilderen bilarria eta bilderen bil
	DECLARATION		
/Weson/daughter	•		
ereby, declare that the information give	en by me/us is true	and correct	to the best of my/our
nowledge and belief and nothing has b	een concealed by	me/us. I/we a	lso understand that in
	•		
f incorrect information submitted by m	erus, legal action	may be taken	agamst me/us.
		4.7	
	or Record of Rig	ht.	
Copy of Village Jamabandi (Khatoni)	_	ht.	
ist of Enclosures: Copy of Village Jamabandi (Khatoni) . Copy of identity document of application (Furd hatwara) or	nt		ote above)
. Copy of Village Jamabandi (Khatoni) . Copy of identity document of application (Furd batwara) or	nt registered partitio		ote above)
Copy of Village Jamabandi (Khatoni) Copy of identity document of application (Furd batwara) or	nt registered partitio		ote above)
Copy of Village Jamabandi (Khatoni) Copy of identity document of applicate Proposed partition ( <i>Furd batwara</i> ) or Any other documents (Please give partition)	nt registered partitio	n deed (see n	
Copy of Village Jamabandi (Khatoni) Copy of identity document of application (Furd batwara) or Any other documents (Please give parate	nt registered partitio	n deed (see n Sign	ature
. Copy of Village Jamabandi (Khatoni)	nt registered partitio	n deed (see n Sign	
Copy of Village Jamabandi (Khatoni) Copy of identity document of application (Furd batwara) or Any other documents (Please give parate	nt registered partitio	n deed (see n Sign Nam	ature
Copy of Village Jamabandi (Khatoni) Copy of identity document of application (Furd batwara) or Any other documents (Please give parate	nt registered partitio	n deed (see n Sign Nam	ature ne

#### FORM - II

[See Rule 3 (2)]

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Krishri Khate Ka Vibhajan) Niyam, 2020

#### APPLICATION FOR PARTITION OF LAND IN LIFE TIME BY BHUMISWAMI

To,			
Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar			
Tahsil District			
Madhya Pradesh.			
I/We(name), hereby, request for part	ition of my/	our holdi	ng during my
/ our life time among my/our legal heirs under section 17	8-A of the N	Madhya P	radesh Land
Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) as per the particulars as			
Revenue Code, 1939 (No 20 of 1939) as per the particulars at	e given belov	٧	
1. Particulars of holding to be partitioned Patwari halka No. / Sector No Village/ Town			

S.	Surve	ey numb	ers of the	Partition of applicant's hol	lding		
No.		holdin	ıg				
	Survey No.	Area (Ha.)	Land revenue (Rs.)	Apportionment of share between the applicant and his legal heirs	Percentage*	Area (Ha.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			,	1. Applicant's share in the holding			
ta di i				2. Share to be retained by the applicant			
				3. Share to be partitioned among legal heirs			

- \* Percentage means the percentage of the holding.
- 2. Particulars of the applicant and his legal heirs

S. No.	Applicant / Legal heir's name, mother/ father/ husband/ guardian's	Relationship with applicant	Address and mobile phone	Remarks	
	name, gender and age		number	•	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	(Applicant)	Self			

Note:- If the holding is self-acquired property of the applicant Bhumiswami such Bhumiswami may submit a proposed partition of holding (furd batwara) or a registered partition deed

			*	•				
٠.	:	-						100
٠,	1		Da	toila	۰£	*faa	مأء.	posited
•	۷.	•	V	cans	ΟI	. 100	ac	posnea

(in Rupees)

Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the *fee		
		deposited		
(1)	(2)	(3)		

				·	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • •		******
	•			• .	
	DECL	ARATION		torial to the second	
(1) I/We	son/daughter				ddroes (full
nailing address)					
					mobile No.
hereb					
correct to the best of my/our	knowledge and	belief and not	hing has b	een conceal	ed by me/us.
we also understand that in ca	ase of incorrect i	information su	bmitted by	me/us, lega	d action may
e taken against me/us.	ase of incorrect i	information su	bmitted by	me/us, lega	d action may
e taken against me/us.	ase of incorrect i	information su	bmitted by	me/us, lega	l action may
e taken against me/us. .ist of Enclosures : -			bmitted by	me/us, lega	l action may
e taken against me/us. List of Enclosures : - . Copy of Village Jamabandi (	(Khatoni) or Rec		bmitted by	me/us, lega	l action may
e taken against me/us. List of Enclosures : - . Copy of Village Jamabandi ( . Copy of identity document o	(Khatoni) or Rec f applicant	ord of Right.			l action may
taken against me/us. List of Enclosures: Copy of Village Jamabandi ( . Copy of identity document o . Proposed partition (Furd Bat	(Khatoni) or Rec f applicant (wara) or registe	ord of Right.			l action may
/we also understand that in cape taken against me/us. List of Enclosures: - Lopy of Village Jamabandi ( Copy of identity document of Proposed partition (Furd Bath) Lany other documents (Please	(Khatoni) or Rec f applicant (wara) or registe	ord of Right.			l action may
taken against me/us. List of Enclosures: Copy of Village Jamabandi ( . Copy of identity document o . Proposed partition (Furd Bat . Any other documents (Please	(Khatoni) or Rec f applicant (wara) or registe	ord of Right.			l action may
taken against me/us. List of Enclosures: Copy of Village Jamabandi ( Copy of identity document o Proposed partition (Furd Bate) Any other documents (Please	(Khatoni) or Rec f applicant (wara) or registe	ord of Right.  red partition despite	eed (see no	te above)	
te taken against me/us.  ist of Enclosures: -  Copy of Village Jamabandi (  Copy of identity document o  Proposed partition (Furd Bat  Any other documents (Please	(Khatoni) or Rec f applicant (wara) or registe	ord of Right.  red partition despite	eed (see no		
e taken against me/us. ist of Enclosures: Copy of Village Jamabandi ( . Copy of identity document o . Proposed partition (Furd Bat . Any other documents (Please	(Khatoni) or Rec f applicant (wara) or registe	ord of Right.  red partition despites  Sign	eed (see no	te above)	

<sup>\*</sup>Note- Fee means case fee requiredto pay under rule 121 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhit (Rajasva Nyayalayon ki Prakriya) Niyam, 2019

#### FORM - III

[See Rule 4 (3)]

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Krishri Khate Ka Vibhajan) Niyam, 2020

Notice

Before		at	
			Case no
To			
so	n/daughter/wife of	resident of Village/Tow	n Patwari
		sil District	de de
Whereas .	son of	resident of village/town	Patwari Halka No.
		ilDistrict	
as a co-tenure l	nolder for partition of h	is share in the holding specifie	d below.
nı .		or	
as a Bnumiswa amongst his leg		holding specified below or p	art thereof in his lifetime
amongst ms reg	•	out what is not applicable)	
	(4.1.1.1.2.2	an armin is their appropriately	
	•	appear and put forth your objecartition.	ctions, it will be assumed
	Partic	ulars of the holding	
twari halka No. /	Sector No	Name of Village	e / Town
lolding No.	Survey No.	Area (in hectare)	Land revenue (in rupees
(1)	(2)	(3)	(4)
AL			
ted20			Tahsildar

SEAL

Dated ..................................20

#### FORM - IV

[See Rule 4 (4)]

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Krishri Khate Ka Vibhajan) Niyam, 2020

		Proclamation	,
Before	at	*********	
			Case No
Patwari Halka	No. /Sector No	Tahsil	lent of village/town
as a Bhumiswa amongst his leg	al heirs.	or holding specified below  t what is not applicabl	w or part thereof in his lifetime
Adlbana	na it is aronaged to part	ition the said holding s	and the date of hearing has been
fixed for20.  All persons appear either persons and state their of In the even	at O'clock at who are interested in ersonally or through a le bjections, if any;	the said holding are he egal practitioner or rec and put forth the obje	ereby informed that they should ognised agent on the date fixed ections on the date and the place
	•		
m . '1 11 3.7		llars of the holding	Village / Town
Parwari naika No. /	Sector No	TAILE OF	Allingo, roam
Holding No.	Survey No.	Area (in hectare)	Land revenue (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.

Tahsildar